FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

• कैलाशचन्द पुत्र तेजू जाति माली निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राज. व अन्य। –प्रार्थीगण

बनाम

• नन्दू पुत्री पूसालाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 251(क) राज0का0अधि0 1955

दर्ज नंबर 35 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 44

वकील प्रार्थी :– योगेश शर्मा **वकील अप्रार्थीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21/5/24	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251(क), राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 14/6/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब सुनाई कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार........ दिनांक 05/7/24 को पेश हो।	
05/7/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगणों के (अत:) तामीलशुदा नोटिस अप्राप्त। वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 2/8/2024 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	
02/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०/अप्रार्थी अनुप०। P.O. सा. राजकार्य हेतु बाहर पधारे। पत्रावली दिनांक 30/9/2024 को पेश हो	आ.नि. रामगोपाल [thumb impression] गवाह: दीप चन्द्र शर्मा

नंबर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ता... में जारी हुए		पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। वादी बहस हेतु पत्रावली दिनांक 8/8/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई
	8/8/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त करनी है अवलोकन जांच रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो WB उपखण्ड अधिकारी अरांई
	21/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी की बहस सुनी गयी। TDR मौके जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी के प्रार्थना पत्र पर [illegible] स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर वास्ते दाखिल दफ्तर हो। WB
	9.1.2026.	वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC पेश कर आदेश दिनांक [illegible] अपील संशोधित करवाने हेतु आग्रह निवेदन किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर वकील प्रार्थी को सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजूद नई तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 152 CPC का स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश संशोधित आदेश का भाग माना जावे। पत्रावली बाद तकमील होकर वास्ते दाखिल दफ्तर हो। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। WA

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम(अराई) अजमेर

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मु0नं0 35/2024

1 कैलाश चन्द पुत्र तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. गीता पुत्री तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. चंता पुत्री तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. धनराज पुत्र तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. शम्भू पुत्री तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान
6. साँवरा पुत्र तेजू जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. बन्ना पुत्र छीतर जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. सुवा पुत्र छोगा जाति मालि, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दू पुत्री स्व. श्री पूसालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. बालुराम पुत्र स्व. श्री पूसालाल, जाति ब्राह्मण, आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. मुकेशकुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश, जाति ब्राहाण, आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. शिवकुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश, जाति ब्राहाण, लगभग वर्ष, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर,
5. रामगोपाल पुत्र स्व. श्री गोरधन, जाति ब्राह्मण, लगभग वर्ष, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत संशोधित आदेश अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी

दिनांकः 9.1.2026

उपस्थितः वकील प्रार्थी योगेश शर्मा एडवोकेट

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री योगेश शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत वास्ते 152 सीपीसी के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी ने न्यायालय निर्णय दिनांक 21.11.2025 में आशिंक संशोधन करने रास्ता चोडाई 15 फीट के स्थान पर 12 फीट करने तथा वाद वर्णित ग्राम आकोडिया तहसील अराई स्थित खसरां नं0 166 रोड पर स्थित न होकर अन्दर की ओर होने के कारण उक्त खसरे में आवागमन हेतु अधिग्रहित रास्ता क्षेत्रफल में डीएलसी इन्टीरियत के अनुसार प्रतिफल राशि की गणना करने हेतु निवेदन किया है । वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । वकील वादी की बहस के आधार पर पूर्व आदेश दिनांक 21.11.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए यह आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम आकोडिया तहसील अराई स्थित खसरा न0 2578/165 में आवागमन हेतु प्रार्थी ने ख0नं0 166 रकबा 0.0549 हैक्टैयर हेतु 15 फीट चोडे रास्ते के स्थान पर 12 फीट चोडे रास्ते जिसका क्षेत्रफल 0.04392 हैक्टेयर हेतु प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 432000/— अनुसार मूल्य 18973/— रूपये बनती है जिसकी दुगुना राशि 37946/— अक्षरे सेतीस हजार नो सो

WR

छियालिस रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अराई को आदेश दिये जातें है कि कृषि भूमि ग्राम आकोडिया तहसील अराई स्थित खसरा न0 2578/165 में आवागमन हेतु प्रार्थी ने ख0नं0 166 रकबा हेतु 15 फीट चोडे रास्ते के स्थान पर 12 फीट चोडे रास्ते जिसका क्षेत्रफल 0.04392 हैक्टेयर हेतु प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 432000/– अनुसार मूल्य 18973/– रूपये बनती है जिसकी दुगुना राशि 37946/– अक्षरे सेतीस हजार नो सो छियालिस रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे । पूर्व आदेश दिनांक 21.11.2025 इस आदेश का हिस्सा रहेगा

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 9.1.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)